[2019] 12 एस. सी. आर. 146

एम/एस। श्री विशाल प्रिंटर्स लिमिटेड। , जयपुर

वी.

क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जयपुर

& एएनआर।

(2010 की सिविल अपील No.4474)

12 सितंबर, 2019

[संजय किशन कौल और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान

अधिनियम, 1952:

एसएस। 16 , 7 ए-अधिनियम कुछ प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा

तथ्यों के अनुसार, तीन प्रतिष्ठानों ने यू/एस से छूट मांगी। 16 (1) (घ) कि अधिनियम उनके प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा-क्षेत्रीय द्वारा आदेश

भविष्य निधि आयुक्त जो ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो इसके हकदार नहीं हैं

इस आधार पर छूट कि वे प्रभावी रूप से एक ही मूल प्रतिष्ठान का हिस्सा हैं-उक्त आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ-साथ एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी बरकरार रखा

अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः तीनों प्रतिष्ठानों के निष्कर्ष कार्यात्मक अभिन्नता और उद्देश्य परीक्षण की सामान्य एकता को संतुष्ट करते हैं, और वही तत्काल मामले के तथ्यों में पूरे होते हैं-वे हो सकते हैं

अलग-अलग कानूनी संस्थाओं, अलग-अलग निदेशकों और शेयरधारकों के लिए एक व्यवस्था की गई हो सकती है, लेकिन नियंत्रण की प्रकृति और कार्यक्षमता की अभिन्नता, तीनों संस्थाओं के बीच काफी है।

निर्धारित तथ्यों से स्पष्ट-प्रत्येक तथ्य अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकता है, लेकिन समग्र रूप से, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा लिए गए निष्कर्ष को बरकरार रखा जाता है।

इसके अलावा, प्रत्येक प्रतिष्ठान के दायित्व की सटीक राशि निर्धारित की जानी है और यह मूल के साथ सह-व्यापक होगी।

कंपनी-- लागत तीनों प्रतिष्ठानों पर लगाई जाती है, लेकिन अलग-अलग राशियों की-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947। 2 ए.

अधिनियम के तत्वावधान से छूट की प्रकृति-आयोजितः अधिनियम एक लाभकारी विधान है-पांच साल की प्रारंभिक अवधि को, जिसे बाद में अधिनियम की कठोरता से घटाकर तीन साल कर दिया गया था, बाहर

करने का उद्देश्य केवल नए प्रतिष्ठानों को अपना व्यवसाय स्थापित करने की अवधि प्रदान करना था, और अधिनियम के तहत दायित्व से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के मार्गों को बनाने की अनुमति नहीं देना था।

146 एम/एस। श्री विशाल प्रिंटर्स लिमिटेड। , जयपुर बनाम क्षेत्रीय अनुदान आयोग, जयपुर

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने पकड़नाः 1.1 सिविल अपील No.4475/2010 बी. सी. सी. एल., जयपुर द्वारा है।

जो एक अलग कानूनी इकाई नहीं है, लेकिन वास्तव में मूल कंपनी की स्थापना होने का दावा किया गया था, हालांकि जयपुर में स्थापित किया गया था।

अपीलार्थियों की ओर से पेश वकीलों का मानना था कि यह इस मामले के तथ्य थे जिन्होंने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के मन में भ्रम पैदा किया था, जैसा कि उनके कथन में कहा गया था।

परिप्रेक्ष्य में, वास्तव में कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधानों के भीतर छूट की मांग नहीं की जा सकती थी और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952। यह बी. सी. सी. एल., जयपुर के रूप में है।

यह एक अलग कानूनी इकाई नहीं थी, बल्कि सीधे मूल कंपनी का हिस्सा थी। इस प्रकार, मामला पूरी तरह से उक्त अधिनियम की धारा 2 ए के प्रावधानों और केवल विभागों के स्थान द्वारा कवर किया जाएगा।

और अन्य शहरों में शाखाओं ने लाभ नहीं बढ़ाया होगा

इस कंपनी को छूट। [पैरा 4,11] [153-बी; 157-सी-डी]

कार्यवाही शुरू करने के लिए भविष्य निधि आयुक्त, 13.12.1985 दिनांकित पहले के समझौते के स्थान पर था। द. इस समझौते में प्रवेश करने के लिए कहा गया व्यावसायिक कारण बी. सी. सी. एल., मुंबई के दैनिक समाचार पत्रों के जयपुर संस्करण का प्रकाशन शुरू करना था, अर्थात, द टाइम्स ऑफ इंडिया और

नवभारत टाइम्स। समझौते में दर्ज किया गया है कि टी. पी. एच. एल. ने जयपुर में एक कार्यालय खोला था, जहाँ उसने खुद को प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों और सभी बुनियादी ढांचे, सचिवीय,

प्रशासनिक और विपणन सुविधाएं। 23.9.1985 के बाद से, यह बी. सी. सी. एल., मुंबई को विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा था, जिसमें उपयोग और व्यवसाय के लिए कार्यालय स्थान, लेखा सुविधाएं, आशुलिपिक, टाइपिंग आदि शामिल थे। जिन सेवाओं को अब बी. सी. सी. एल., मुंबई को प्रदान करने की मांग की गई थी, उनमें शामिल हैं। विपणन, विकास कार्य, बकाया राशि की प्राप्ति, पर्याप्त कार्यालय स्थान, लेखा सुविधाएं, बुनियादी ढांचा, दैनिक समाचार पत्रों की पैकिंग/बंडलिंग (बी. सी. सी. एल., मुंबई की लागत पर) आदि। बीसीसीएल,

मुंबई को टी. पी. एच. एल. को शुद्ध विज्ञापन राजस्व और शुद्ध परिसंचरण राजस्व पर कमीशन के रूप में 5 प्रतिशत की गणना की गई राशि का भुगतान करना था। [पैरा 12,13,14] [157-ई-एच; 158-ए, डी] [2019] 12 एस. सी. आर.

1.3 एक बार यह माना जाता है कि बी. सी. सी. एल., जयपुर वास्तव में

बी. सी. सी. एल., मुंबई का केवल एक हिस्सा। अन्य दो का संबंध

1.4 तत्काल मामले में, बी. सी. सी. एल., मुंबई की एक शाखा या इकाई से निपटा नहीं जाता है। इस प्रकार, स्वामित्व, प्रबंधन की एकता की परीक्षा और नियंत्रण वास्तव में लागू नहीं हो सकता है, लेकिन दी गई तथ्यात्मक स्थिति में परीक्षण कार्यात्मक अखंडता या उद्देश्य की सामान्य एकता का होगा। रोजगार में कोई प्रत्यक्ष एकता नहीं है। किसी भी मामले में

मामले में, यह कार्यात्मक अखंडता या उद्देश्य की सामान्य एकता की परीक्षा है जिसे वर्तमान तथ्यों में लागू करना होगा यदि दोनों प्रतिष्ठानों को उद्देश्यों के लिए जोड़ा जाना है उक्त अधिनियम के प्रावधान। [पैरा 20] [159-जी; 160-ए]

1.5 यह प्रस्तुत किया गया था कि दोनों कंपनियाँ थीं

कार्यात्मक रूप से निर्भर। व्यावहारिक रूप से तीनों कंपनियां एक ही इमारत से काम कर रही थीं, हालांकि अलग-अलग मंजिलों पर, और टी. पी. एच. एल. का कार्यालय बी. सी. सी. एल., मुंबई के कर्मचारियों के उपयोग के लिए खुला था। यह भी तर्क दिया गया कि बी. सी. सी. एल., मुंबई के प्रबंधक टी. पी. एच. एल. से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और महाशिवरात्रि और होली पर दोनों के कार्यालयों को बंद करने से संबंधित नोटिस। हालाँकि, विचाराधीन दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि वे वास्तव में टी. पी. एच. एल. के लिए समर्थन थे, जो स्वाभाविक होगा क्योंकि ऐसा नहीं होगा।

बी. सी. सी. एल., मुंबई का कार्यालय बंद होने और किसी भी संपादन, विपणन कार्य को करने की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में काम की आवश्यकता। सुरक्षा कर्मचारियों के मुद्दे पर, चूंकि इमारत एक थी, इसलिए तार्किक रूप से सामान्य निर्देश संभव थे। टी. पी. एच. एल. का कार्यकारी बी. सी. सी. एल. के लेटरपैड का उपयोग कर रहा था,

मुंबई। इसके अलावा, समझौते की प्रकृति के लिए प्रदान किया गया है

टी. पी. एच. एल. द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जगह और कर्मचारी दोनों बी. सी. सी. एल., मुंबई का लाभ। प्रतिष्ठान का खर्च, बिजली का बिल, रखरखाव की लागत आदि टी. पी. एच. एल. द्वारा वहन किया जाना था। यदि उक्त तथ्यों का विश्लेषण कार्यात्मक अखंडता या उद्देश्य की सामान्य एकता की कसौटी पर किया जाता है, तो चार मंचों के तर्क से असहमत होना असंभव नहीं तो मुश्किल है।

एम/एस। श्री विशाल प्रिंटर्स लिमिटेड। , जयपुर बनाम क्षेत्रीय अनुदान आयोग, जयपुर

अतः टी. पी. एच. एल. के मामले को अस्वीकार करने में कोई संदेह नहीं है। [पैरा 22-24,28] [160-D-H; 161-A, F]

1.6 एस. वी. पी. एल. प्रासंगिक अवधि के लिए, निष्पादित कर रहा था

केवल बी. सी. सी. एल., मुंबई के लिए विशेष कार्य, यह अनुरोध किया गया था कि इसके निदेशकों और शेयरधारकों में कोई समानता नहीं थी।

और अखबारों को छापना पड़ता था। पारिश्रमिक बी. सी. सी. एल., मुंबई द्वारा एस. वी. पी. एल. को दो दैनिक समाचार पत्रों के लिए <आई. डी. 1,000/- प्रति दिन के हिसाब से देय था। प्रिंटिंग प्रेस कहीं और था, लेकिन एस. वी. पी. एल. का व्यावसायिक कार्यालय भी उसी इमारत में स्थित था बी. सी. सी. एल., जयपुर, हालांकि एक अलग मंजिल पर बताया गया है। दोनों पक्षों के बीच समझौते में 'गैर-विशिष्टता खंड' था। दोनों कंपनियों के अलग-अलग कानूनी निकाय होने पर जोर दिया गया था, जिसमें निदेशकों या निदेशकों में कोई समानता नहीं थी।

शेयरधारक, या प्रत्यक्ष वित्तीय नियंत्रण। तुलनपत्र और लाभ-हानि खाते भी अलग-अलग थे। एक अन्य पहलू पर जोर दिया गया कि एस. वी. पी. एल. का प्रिंटिंग प्रेस एक अलग परिसर में स्थित था जहाँ से वास्तव में व्यवसाय किया जा रहा था, हालांकि स्वाभाविक रूप से, व्यवसाय का नियंत्रण उसी परिसर में स्थित कार्यालय से होगा जो बी. सी. सी. एल., मुंबई में स्थित है। हालाँकि, यह विवादित नहीं है कि एस. वी. पी. एल. ने अपनी कीमत पर, बी. सी. सी. एल. को प्रिंटिंग प्रेस के बगल में पर्याप्त क्षेत्र दिया था।

समाचार पत्र/मुद्रण के भंडारण के लिए मुंबई। एस. वी. पी. एल. को मुद्रण के लिए जो भुगतान किया जा रहा था, उसमें पैकेजिंग और भंडारण संचालन के लिए उक्त स्थान उपलब्ध कराने की लागत शामिल थी। [पैरा 32,33,35] [162-एफ-एच; 163-ए-बी, डी-एफ]

1.7 प्रत्यर्थी ने कंपनियों के बीच कार्यात्मक निर्भरता पर जोर देने की मांग की। एस. वी. पी. एल. से संबंधित कागजातों पर बी. सी. सी. एल. के प्रबंधक के हस्ताक्षर करने के पहलू पर जोर दिया गया। जिसमें बंद करने की सूचना भी शामिल है। आम कारक, फिर से, [2019] 12 एस. सी. आर. का है।

बी. सी. सी. एल., मुंबई एस. वी. पी. एल. के लेटर पैड पर आदेश जारी कर रहा है। वास्तव में, जारी किए गए संचार और आदेशों की प्रकृति से पता चलता है कि तीनों एक समाचार पत्र लाने के सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम कर रहे थे। उक्त अपने आप में पर्याप्त नहीं होता,

लेकिन कार्यात्मक समाकलन परीक्षण के अनुप्रयोग के लिए, जो उन्हें एक ही प्रतिष्ठान का हिस्सा होने के लिए जोड़ता है। [पैरा 36 37] [163-एफ-एच]

1.8 विवादित आदेशों में, यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या संदर्भ बी. सी. सी. एल., मुंबई या बी. सी. सी. एल. को दिया जा रहा है।

पहुँच गया। एस. वी. पी. एल. और अन्य दो संस्थाओं के काम करने की प्रकृति कार्यात्मक अखंडता परीक्षण को संतुष्ट करने के लिए दर्शाती है। वे अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हो सकती हैं, अलग-अलग निदेशकों और शेयरधारकों के लिए एक व्यवस्था की गई हो सकती है, लेकिन तीन संस्थाओं के बीच नियंत्रण और कार्यक्षमता की अभिन्नता की प्रकृति निर्धारित तथ्यों से काफी स्पष्ट है। प्रत्येक तथ्य अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकता है, लेकिन समग्र रूप से, आर. पी. एफ. सी. द्वारा किए गए निष्कर्ष के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं हो सकता है। यह किया जाता है, इस तथ्य से काफी सचेत है कि निस्संदेह कुछ गड़बड़ी है जो आर. पी. एफ. सी. के क्रम में उत्पन्न हुई है, जिसकी पूरे समय पुष्टि की गई है। लेकिन फिर, अपीलार्थियों का मामला इस सिद्धांत पर बनाया गया था कि इन तीनों संस्थाओं की वास्तव में बी. सी. सी. एल., मुंबई की तुलना में कोई कार्यात्मक अखंडता नहीं है। जैसा कि यह बाद में उभरा, और पहले स्वीकार किया गया था; इसमें कोई संदेह नहीं है कि बी. सी. सी. एल., जयपुर बी. सी. सी. एल., मुंबई की एक इकाई है और अन्य दो इकाइयों में संबंध हैं और इन्हें बी. सी. सी. एल., जयपुर द्वारा इस तरह से नियंत्रित किया जाता है जो कार्यात्मक एकीकरण परीक्षण को संतुष्ट करेगा। [पैरा 38,40]

1.10 उक्त अधिनियम एक लाभकारी कानून होने के कारण, पांच साल की शैशवावस्था को बाहर करने का उद्देश्य (बाद में घटाकर

तीन वर्ष) अधिनियम की कठोरता से, केवल नए प्रतिष्ठानों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक अवधि प्रदान करने के लिए था, और उक्त अधिनियम के तहत दायित्व से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के मार्गों को बनाने की अनुमति देने के लिए नहीं था। [पैरा 41] [164-जी] एम/एस।

श्री विशाल प्रिंटर्स लिमिटेड। , जयपुर बनाम क्षेत्रीय अनुदान आयोग, जयपुर

1.11 तीनों अपीलार्थियों के निष्कर्ष इस बात से संतुष्ट हैं कि

कार्यात्मक अभिन्नता और उद्देश्य परीक्षण की सामान्य एकता, और वही तत्काल मामले के तथ्यों में मिलते हैं। [पैरा 42] [164-एच; 165-ए]

1.12 अपीलार्थी इस मुद्दे पर हल्के में भाग रहे हैं

ऐसा दायित्व, जिसकी सटीक राशि निर्धारित की जानी है। इन प्रतिष्ठानों में से प्रत्येक का दायित्व बी. सी. सी. एल., मुंबई के साथ सह-व्यापक होगा। लागत तीनों अपीलार्थियों पर लगाई जाती है, लेकिन अलग-अलग राशियों की। चूँकि सी. ए. सं. 4475/2010 में अपीलार्थी बी. सी. सी. एल., जयपुर का कोई मामला नहीं था, इसलिए अपील को Rs.50,000/- की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है, जबकि अन्य दो अपीलार्थियों पर Rs.20,000/- की लागत लगाई जाती है। [पैरा 43,44] [165-डी-ई]

एल. एन. गडोडिया एंड संस और एन. वी. क्षेत्रीय भविष्य निधि

कोष आयुक्त (2011) 13 एस. सी. सी. 517; प्रबंधन

प्रताप प्रेस, नई दिल्ली बनाम। सचिव, दिल्ली प्रेस

श्रमिक संघ, दिल्ली और उसके कर्मचारी ए. आई. आर. 1960 एस. सी.

1213 ; एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड, चाईबासा

सीमेंट वर्क्स, झिंकपानी बनाम। कामगार ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 56 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2011) 13 एस. सी. सी. 517

संदर्भित किया गया है

पै

रा 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

आकाशवाणी 1960 एससी 1213

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1960 एस. सी 56

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4474

2010 का

उच्च न्यायालय के 11.04.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2007 की डी. बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 1229 में राजस्थान न्यायालय, जयपुर पीठ

के साथ

सिविल अपील सं। 4476 , 4475 2010 से।

ध्रुव मेहता, जय दीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मनीष कुमार

श्रीवास्तव, सुश्री निहारिका खन्ना, प्रवीण अग्रवाल, के. दत्ता, आशीष वर्मा, प्रवीण अग्रवाल, अर्णव सान्याल, सुश्री आनंदिता, केशव मोहन, ऋषि के. अवस्थी, प्रशांत कुमार, पीयूष चौधरी, सुश्री तारिणी सिन्हा, संतोष कुमार-आई, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, भरत सिंह, राज बहादुर यादव, अरुण कुमार यादव, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

9] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

1. कल्याणकारी अर्थशास्त्र, प्रबुद्ध स्वार्थ और ट्रेड यूनियनों के दबाव ने बड़े कारखानों और प्रतिष्ठानों को शुरू करने के लिए प्रेरित किया भविष्य निधि जैसी योजनाओं सहित ऐसी योजनाएं जो उनके कर्मचारियों को लाभान्वित करेंगी। 1 तथापि, बाजार में आने वाले छोटे कारखानों और प्रतिष्ठानों की बढ़ती संख्या के साथ, ऐसी नई इकाइयों के कर्मचारी इन लाभों से वंचित रहे। बाजार भर में प्रतिष्ठानों में इस तरह के लाभों को फैलाने के लिए, विधायिका ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध को लागू किया।

प्रावधान अधिनियम, 1952 (इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। उक्त अधिनियम को हमारे देश में प्रचलित किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अभाव में संगठित उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा प्रदान करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए प्रतिष्ठानों को पांच साल की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के तत्वावधान से छूट देने का प्रावधान किया गया था। 1988 में इस अवधि को घटाकर तीन साल कर दिया गया और 22.9.1997 से छूट के प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया गया।

" 16. अधिनियम कुछ प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होता है। - (1) यह अधिनियम लागू नहीं होगा।

... .

(घ) नव स्थापित किसी अन्य प्रतिष्ठान के लिए, उस तारीख से तीन साल की अवधि की समाप्ति तक जब तक कि ऐसा प्रतिष्ठान स्थापित किया गया है या किया गया है।

व्याख्याः शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी प्रतिष्ठान को केवल उसके स्थान में परिवर्तन के कारण नया स्थापित नहीं माना जाएगा।

3. वर्तमान अपीलें इस छूट प्रावधान से संबंधित हैं क्योंकि विचाराधीन तीन प्रतिष्ठानों ने इस संबंध में छूट का दावा किया है -

उक्त अधिनियम के इस प्रावधान का अनुप्रयोग। 4. हमारे समक्ष दायर की गई तीन अपीलें तीन सीमित कंपनियों (दो अलग-अलग कानूनी संस्थाओं और एक, मूल की एक संस्था) द्वारा की गई हैं।

' एल. एन. गडोडिया एंड संस और एन. वी. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, (2011) 13 एस. सी. सी. 517 एम/एस.

कंपनी), हालांकि उनकी छूट के सवाल से निपटा गया है क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान का एक सामान्य आदेश (संक्षेप में 'आर. पी. एफ. सी.')। ऐसा इसलिए है, क्योंकि तीनों प्रतिष्ठानों को इस आधार पर छूट से वंचित करने की मांग की जाती है कि वे प्रभावी रूप से एक ही मूल प्रतिष्ठान का हिस्सा हैं, क्योंकि वे मेसर्स हैं। बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (संक्षिप्त में 'बी. सी. सी. एल.'), मुंबई। सिविल अपील सं. 4475/2010 बी. सी. सी. एल., जयपुर द्वारा है। हम ध्यान दे सकते हैं कि उक्त कंपनी एक अलग कंपनी नहीं है।

कानूनी इकाई लेकिन वास्तव में मूल कंपनी की स्थापना होने का दावा किया गया था, हालांकि जयपुर में स्थापित किया गया था। सिविल अपील सं. 4476/2010 मेसर्स द्वारा है।

टाइम्स पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड, जयपुर (संक्षेप में 'टी. पी. एच. एल., जयपुर') जबकि सिविल अपील सं. 4474/2010 मेसर्स द्वारा है। श्री विशाल प्रिंटर्स लिमिटेड, जयपुर (संक्षेप में 'एसवीपीएल, जयपुर')।

5. इससे पहले कि हम तथ्यात्मक मैट्रिक्स के साथ आगे बढ़ें कि विवाद कैसे उत्पन्न हुआ, उन रूपों की जांच करना उचित होगा जिनके भीतर इस पहलू की जांच की जानी चाहिए। उक्त अधिनियम की धारा 2 ए नामक एक अन्य प्रावधान पर ध्यान देना उचित होगा, जिसे 1960 के अधिनियम 46, डब्ल्यू. ई. एफ. 31.12.1960 द्वारा जोड़ा गया था। हम ध्यान दे सकते हैं कि उक्त अधिनियम के तहत "प्रतिष्ठान" की कोई परिभाषा नहीं है, और इस प्रकार, विकसित न्यायशास्त्र ने उक्त उद्देश्य के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'आई. डी. अधिनियम') के प्रावधानों का सहारा लिया। उक्त अधिनियम की धारा 2 ए निम्नानुसार हैः

" 2 ए. सभी विभागों और शाखाओं को शामिल करने के लिए स्थापना। - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां किसी प्रतिष्ठान में अलग-अलग विभाग होते हैं या उनकी शाखाएं होती हैं, चाहे वे एक ही स्थान पर स्थित हों या अलग-अलग स्थानों पर, ऐसे सभी विभागों या शाखाओं को उसी का हिस्सा माना जाएगा।

स्थापना। ”

6. उपरोक्त प्रावधान पेश किया गया था ताकि विभिन्न विभागों और शाखाओं के निर्माण की संभावनाओं को कम किया जा सके। स्थापना करें और फिर नए प्रतिष्ठानों के आधार पर छूट लें।

7. न्यायशास्त्र के पहलू पर वास्तव में कोई विवाद नहीं है, जैसा कि पक्षों के सभी विद्वान वकीलों, यानी श्री जॉयदीप गुप्ता ने सीखा है।

सिविल अपील सं. में वरिष्ठ वकील। 4475/2010 और 4476/2010 और सिविल अपील सं. 4474/2010 में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता के साथ-साथ विभाग के वकील श्री केशव मोहन, अधिवक्ता ने न्यायिक घोषणाओं के एक ही समूह पर भरोसा किया है। इस प्रकार, कानूनी परिप्रेक्ष्य को सीमा पर रखना उचित होगा।

9] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कर्मचारी 2. यह विवाद आई. डी. अधिनियम के तहत था और वर्तमान मामले की तरह एक समाचार पत्र के प्रकाशन से भी निपटता था। प्रताप प्रेस को वीर अर्जुन और दैनिक प्रताप के समान औद्योगिक इकाई का हिस्सा मानने की मांग की गई थी। ये परीक्षण एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड, चाईबासा सीमेंट वर्क्स, झिंकपानी में पहले के एक फैसले से लिए गए हैं। वी. कर्मचारी 3, और यह पैरा 5 में निम्नानुसार देखा गया थाः

" 5. एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम कर्मचारीगण, इस न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना था कि क्या चाइबासा सीमेंट वर्क्स के श्रमिकों द्वारा छंटनी मुआवजे के दावे के लिए नियोक्ता का बचाव कि छंटनी प्रतिष्ठान के दूसरे हिस्से में हड़ताल के कारण हुई थी। , राजंका में चूना पत्थर की खदान अच्छी थी। दूसरे शब्दों में सवाल यह था कि क्या राजंका की चूना पत्थर की खदान उस प्रतिष्ठान का हिस्सा थी जिसे के रूप में जाना जाता है

किसी भी एक परीक्षण को निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय के रूप में निर्धारित करना असंभव है। सभी मामलों के लिए परीक्षण यह पाया गया कि इन परीक्षणों का वास्तविक उद्देश्य भागों, शाखाओं, इकाइयों आदि के बीच सही संबंध का पता लगाना होगा। हालाँकि इस अदालत ने कुछ परीक्षणों का उल्लेख किया जो यह तय करने में उपयोगी हो सकते हैं कि क्या दो इकाइयाँ एक ही प्रतिष्ठान का हिस्सा हैं। स्वामित्व की एकता, प्रबंधन की एकता और

नियंत्रण, वित्त की एकता और श्रम की एकता, रोजगार की एकता और कार्यात्मक "अखंडता" की एकता वे परीक्षण थे जिन्हें न्यायालय ने उस मामले में लागू किया था। यह स्पष्ट है कि एक आवश्यक अंतर है।

इस प्रश्न के बीच कि क्या दोनों इकाइयाँ धारा 25 ई (iii) के प्रयोजनों के लिए एक प्रतिष्ठान का हिस्सा हैं और यह प्रश्न कि क्या वे बोनस के वितरण के लिए अधिशेष लाभ की गणना के उद्देश्यों के लिए एक ही उद्योग का हिस्सा हैं।

इकाइयों में से एक में श्रमिक। फिर भी उस मामले में परीक्षणों की गणना से कुछ सहायता प्राप्त की जा सकती है। इन सभी परीक्षणों में से सबसे महत्वपूर्ण हमें कार्यात्मक "अभिन्नता" और वित्त और रोजगार और श्रम की एकता का सवाल प्रतीत होता है। स्वामित्व की एकता पूर्व परिकल्पना के रूप में मौजूद है। जहाँ दो इकाइयाँ एक मालिक की होती हैं, वहाँ प्रबंधन की एकता की भी लगभग हमेशा संभावना होती है। अतः ऐसे सभी मामलों में न्यायालय ने

2 आकाशवाणी 1960 एससी 1213 3 ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 56 एम/एस.

श्री विशाल प्रिंटर्स लिमिटेड। , जयपुर बनाम क्षेत्रीय अनुदान आयोग, जयपुर [संजय किशन कौल, जे.]

इस बात पर ध्यान से विचार करना कि "कार्यात्मक अभिन्नता" कितनी दूर है जिसका अर्थ है कि ऐसी कार्यात्मक परस्पर निर्भरता कि एक इकाई दूसरे के बिना सुविधाजनक और यथोचित रूप से मौजूद नहीं हो सकती है और आगे के प्रश्न पर कि क्या वित्त के मामलों में और

नियोक्ता ने वास्तव में दोनों इकाइयों को अलग या एकीकृत रखा है। 9. इस उद्देश्य के लिए दूसरा निर्णय एल. एन. में दिया गया है।

गडोडिया एंड संस और अन्र। वी. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त। यह मामला उक्त अधिनियम से संबंधित था और जो सवाल उठा वह यह था कि क्या दो बहन संबंधित हैं, जिनकी तारीखें अलग-अलग हैं।

निगमन को दो अलग-अलग प्रतिष्ठानों के रूप में माना जा सकता है। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड में निर्णय और

उक्त उद्देश्य के लिए प्रताप प्रेस, नई दिल्ली के प्रबंधन को संदर्भित किया गया था। इस मामले के पैरा 16 में, पैरा 11 में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनियों की टिप्पणियों को, जहां तक प्रासंगिक है, निम्नानुसार निकाला गया हैः

किसी भी एक परीक्षण को सभी मामलों के लिए एक पूर्ण और अपरिवर्तनीय परीक्षण के रूप में निर्धारित करें। इन परीक्षणों का वास्तविक उद्देश्य भागों, शाखाओं, इकाइयों आदि के बीच सही संबंध का पता लगाना है। यदि उनके वास्तविक संबंध में वे एक एकीकृत समग्र का गठन करते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रतिष्ठान एक है; यदि इसके विपरीत वे एक एकीकृत समग्र का गठन नहीं करते हैं, तो प्रत्येक इकाई एक अलग इकाई है। इकाइयों के बीच संबंध का निर्णय कैसे किया जाएगा, यह साबित तथ्यों पर निर्भर करना चाहिए, कानून की योजना और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो बेरोजगारी मुआवजे का अधिकार देता है और उसके लिए अयोग्यता भी निर्धारित करता है। इस प्रकार, एक मामले में स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण की एकता महत्वपूर्ण परीक्षा हो सकती है; दूसरे मामले में कार्यात्मक अखंडता या सामान्य एकता महत्वपूर्ण हो सकती है। परीक्षण; और अभी भी एक अन्य मामले में, महत्वपूर्ण परीक्षा रोजगार की एकता हो सकती है। वास्तव में, बड़ी संख्या में मामलों में कई परीक्षण एक ही समय में विचार के लिए आ सकते हैं। इन परीक्षणों को लागू करने में कठिनाई आधुनिक औद्योगिक संगठन की जटिलताओं के कारण उत्पन्न होती है; कई उद्यम कार्यात्मक हो सकते हैं।

4 (2011) 13 एस. सी. सी. 517 5 (ऊपर)

अलग से स्वामित्व वाले कारखानों के बीच अभिन्नता; कुछ को समान इकाइयों या कारखानों के साथ आंशिक रूप से एकीकृत किया जा सकता है

स्वामित्व और आंशिक रूप से कारखानों या संयंत्रों के साथ जो हैं

स्वतंत्र रूप से स्वामित्व "।

10. इसके बाद, कुछ बाद के निर्णयों पर चर्चा करते हुए, विंग टिप्पणियाँ की गईः

" 18. तदनुसार, विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर, कुछ मामलों में संबंधित इकाइयों को एक प्रतिष्ठान का हिस्सा माना जाता था, जबकि कुछ अन्य मामलों में उन्हें ऐसा नहीं माना जाता था। रेग्युलर। भविष्य निधि निगम। बनाम. धर्मसी मोरारजी केमिकल कंपनी लिमिटेड ने [(1998) 2 एस. सी. सी. 446] और रेग में रिपोर्ट की। भविष्य निधि निगम। वी. राज कॉन्टिनेंटल एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड ने [(2007) 4 एस. सी. सी. 239] में रिपोर्ट किए गए ऐसे मामले हैं जहां दोनों इकाइयों को स्वतंत्र माना गया था। धर्मसी मोरारजी (ऊपर) में, अपीलकर्ता कंपनी उर्वरकों का निर्माण करने वाला एक कारखाना चला रही थी

1921 से महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अंबरनाथ में। अपीलार्थी ने वर्ष 1977 में निकटवर्ती जिले के रोहा में जैविक रसायनों के निर्माण के लिए एक और कारखाने की स्थापना की।

श्रमिकों का अलग समूह, अलग लाभ और हानि खाता, अलग कार्य प्रबंधक, संयंत्र अधीक्षक और कारखाने अधिनियम के तहत अलग पंजीकरण। भविष्य निधि अधिनियम के तहत कवरेज के उद्देश्यों के लिए दोनों को अलग-अलग माना गया था। राज के महाद्वीपीय निर्यात (ऊपर) में धर्मसी मोरारजी का अनुसरण किया गया।

चूंकि दोनों संस्थाओं का कारखाना अधिनियम, 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, आयकर अधिनियम, 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत अलग-अलग पंजीकरण था।

उन्हें।

19. इसके विपरीत राजस्थान में प्रेम कृष्ण गुड्स ट्रांसपोर्ट कं. रेग्युलर। भविष्य निधि निगम। [(1996) 9 एस. सी. सी. 454] और रेग में रिपोर्ट की गई। भविष्य निधि निगम। , वी. नारायण उद्योग ने [(1996) 5 एस. सी. सी. 522] में बताया कि संबंधित इकाइयों को एक ही प्रतिष्ठान की इकाइयां माना गया था। राजस्थान में प्री

कृष्ण गुड्स ट्रांसपोर्ट कं. (ऊपर) दोनों संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले ट्रक उनके भागीदारों के स्वामित्व में थे, तेरह में से दस भागीदार आम थे, व्यवसाय का स्थान आम था, प्रबंधन आम था, पत्र-प्रमुखों पर एक ही टेलीफोन नंबर थे। नरैनी उद्योग (ऊपर) में दो इकाइयाँ एम/एस।

तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर अलग-अलग स्थित थे

लघु उद्योग लेकिन एक ही हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता था। उनका नई दिल्ली में एक आम मुख्य कार्यालय, बॉम्बे में आम शाखा और कोटा में आम टेलीफोन था। दोनों संस्थाओं के खातों का रखरखाव क्लर्कों के एक ही समूह द्वारा किया जाता था। कारखाना अधिनियम, बिक्री कर अधिनियम और ई. एस. आई. अधिनियम के तहत अलग-अलग पंजीकरण को कोई प्रासंगिकता नहीं माना गया और दोनों इकाइयों को इस उद्देश्य के लिए एक ही प्रतिष्ठान माना गया।

भविष्य निधि अधिनियम "।

11. अब हमारे सामने मामलों के तथ्यों की ओर मुड़ते हुए, हम शुरुआत में ही ध्यान दे सकते हैं कि सिविल अपील No.4475/2010 पर वास्तव में तर्क नहीं दिया गया था

हमारे सामने। वास्तव में, हमें यह धारणा मिली कि अपीलार्थियों की ओर से पेश होने वाले वकीलों का मानना था कि यह इस मामले के तथ्य थे जिन्होंने आर. पी. एफ. सी. के मन में भ्रम पैदा किया था क्योंकि उनके दृष्टिकोण से,

इस मामले में वास्तव में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के भीतर छूट की मांग नहीं की जा सकती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बी. सी. सी. एल., जयपुर अलग नहीं था।

कानूनी इकाई, लेकिन, सीधे मूल कंपनी का हिस्सा। इस प्रकार, मामला पूरी तरह से उक्त अधिनियम की धारा 2 ए के प्रावधानों द्वारा कवर किया जाएगा और केवल अन्य शहरों में विभागों और शाखाओं का स्थान नहीं होगा। इस कंपनी को छूट का लाभ दिया है। इस प्रकार, यह अपील, किसी भी मामले में, विफल होनी चाहिए।

12. जहाँ तक सिविल अपील सं. 4476/2010 का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने समझौते के प्रावधानों का उल्लेख करने की मांग की।

दोनों पक्षों के बीच सवाल, जिसने भविष्य निधि आयुक्त को कार्यवाही शुरू करने के लिए जन्म दिया। यह समझौता दिनांकित 25.7.1986 है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह समझौता 13.12.1985 दिनांकित पहले के समझौते के स्थान पर था। इस समझौते में प्रवेश करने के लिए कहा गया व्यावसायिक कारण बी. सी. सी. एल., मुंबई के दैनिक समाचार पत्रों के जयपुर संस्करण का प्रकाशन शुरू करना था, अर्थात, द टाइम्स ऑफ इंडिया और

नवभारत टाइम्स।

13. समझौते में लिखा है कि टी. पी. एच. एल. ने 8 9, अनुपम चैंबर्स, टोंक रोड, जयपुर में एक कार्यालय खोला था, जहां उसने खुद को प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों और सभी अवसंरचनात्मक, सचिवीय, प्रशासनिक और विपणन सुविधाओं से लैस किया था। 23.9.1985 के बाद से, यह बी. सी. सी. एल., मुंबई को विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा था, जिसमें उपयोग और व्यवसाय के लिए कार्यालय स्थान, लेखा सुविधाएं, आशुलिपिक, टाइपिंग आदि शामिल थे। जिन सेवाओं को अब बी. सी. सी. एल., मुंबई को प्रदान करने की मांग की गई थी, उनमें विपणन, विकास कार्य, बकाया की वसूली, [2019] 12 एस. सी. आर. शामिल थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पर्याप्त कार्यालय स्थान, लेखा सुविधाएं, बुनियादी ढांचा, दैनिक समाचार पत्रों की पैकिंग/बंडलिंग (बी. सी. सी. एल., मुंबई की कीमत पर) आदि। खंड

1 (छ) समझौते में कहा गया हैः

" 1. " टी. पी. एच. "1 से निम्नलिखित सेवाओं को प्रभावी बनाएगा।

अगस्त, 1986 से "बेनेट": XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(छ) "टीपीएच" द्वारा नियोजित सभी कर्मचारी "बेनेट" द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और काम करने की समस्याओं के मामले में "टीपीएच" "बेनेट" के अनुरोध पर समस्याओं को दूर करेगा। कर्मचारीगण

टी. पी. एच. द्वारा नियोजित कर्मचारियों के रूप में नहीं माना जाएगा

" बेनेट "लेकिन वे" टी. पी. एच ". और" टी. पी. एच ". के कर्मचारी बने रहेंगे।

कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायी होगा।

14. बी. सी. सी. एल., मुंबई को टी. पी. एच. एल. को शुद्ध विज्ञापन राजस्व और नेट पर कमीशन के रूप में 5 प्रतिशत की गणना की गई राशि का भुगतान करना था।

परिसंचरण राजस्व।

15. तीनों प्रतिष्ठानों को अनुपालन करने के लिए कहा जा रहा है

उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ, उन तीनों ने उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) (डी) के तहत छूट की मांग की। इसे ध्यान में रखते हुए, आर. पी. एफ. सी. ने उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की और अधिनियम की धारा 7 ए के तहत एक नोटिस जारी किया।

उक्त अधिनियम, दिनांक 28.10.1987। इसके बाद कार्यवाही की गई और आर. पी. एफ. सी. ने तीनों के संबंध में एक सामान्य आदेश पारित किया।

4.10.1990 पर प्रतिष्ठानों का मानना है कि वे छूट के हकदार नहीं थे। तीनों प्रतिष्ठानों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील भी विफल रही, क्योंकि इसे 10.10.1997

पर खारिज कर दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही में, 20.12.2006 दिनांकित आदेश और 11.4.2008 पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ के अनुसार, तीनों का यही हाल हुआ। इस प्रकार, व्यावहारिक रूप से चार मंचों ने इन तीनों प्रतिष्ठानों के मामलों की जांच की है।

16. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जॉयदीप गुप्ता, की ओर से पेश हुए

हालाँकि, टी. पी. एच. एल. ने तर्क दिया कि आर. पी. एफ. सी. के आदेश में जो भ्रांति आई थी, वह तीन प्रतिष्ठानों से संबंधित मुद्दों में तथ्यों को उलझाने की थी, और उसके बाद, वास्तव में किसी भी मंच के सामने कोई जांच नहीं की गई है, सिवाय इसके कि उक्त आदेश को अपनी अभेद्यता दी गई है। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने इस मामले को देखने से प्रभावी रूप से इनकार कर दिया क्योंकि दो मंच पहले ही उस पहलू पर विचार कर चुके थे।

एम/एस। श्री विशाल प्रिंटर्स लिमिटेड। , जयपुर बनाम क्षेत्रीय अनुदान आयोग, जयपुर [संजय किशन कौल, जे.]

17. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, टी. पी. एच. एल. ने मांग की

18. हम इस स्तर पर ही ध्यान दे सकते हैं कि हालांकि, सिद्धांत रूप में, इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है, यह वास्तव में हमारे लिए अपील नहीं करता है इसका कारण यह है कि यह आंतरिक रूप से इस आधार पर भविष्यवाणी की गई थी कि बी. सी. सी. एल., जयपुर एक अलग प्रतिष्ठान था। एक बार जब यह माना जाता है कि ऐसा नहीं है, तो बी. सी. सी. एल., जयपुर वास्तव में बी. सी. सी. एल., मुंबई का केवल एक हिस्सा था। कनेक्शन

बी. सी. सी. एल., मुंबई या उस मामले के लिए बी. सी. सी. एल., जयपुर के साथ अन्य दो प्रतिष्ठानों में से, इस प्रकार, निम्नलिखित क्रम में एक आंतरिक भ्रांति का कारण नहीं बनेंगेः

आर पी एफ सी।

19. विद्वान वरिष्ठ वकील ने विशिष्ट विशेषताओं पर जोर देने की कोशिश की कि यह क्यों नहीं कहा जा सकता कि कोई सीधा संबंध था

दोनों प्रतिष्ठानों, यानी बी. सी. सी. एल., जयपुर और टी. पी. एच. एल. के बीच। एक महान।

इस तथ्य पर जोर दिया गया कि ये दो अलग-अलग पंजीकृत कंपनियां हैं, तत्कालीन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत, कि निदेशकों या शेयरधारकों की कोई समानता नहीं है और कोई प्रत्यक्ष वित्तीय एकता नहीं है। तुलनपत्र के साथ-साथ लाभ और हानि खाते अलग-अलग हैं, और

दोनों संस्थाओं के स्वतंत्र और अलग-अलग कर्मचारियों के अलग-अलग आंकड़े थे, जिसमें बी. सी. सी. एल., मुंबई और टी. पी. एच. एल. के बीच या उस मामले के लिए बी. सी. सी. एल., जयपुर और टी. पी. एच. एल. के बीच कर्मचारियों का कोई स्थानांतरण नहीं था।

20. यदि उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स का विश्लेषण सिद्धांतों के भीतर किया जाता है।

8 जैसा कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के मामले में निर्धारित किया गया है, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर विभिन्न मापदंड हैं, जिनकी जांच की जानी चाहिए। निस्संदेह हम इस मामले में बी. सी. सी. एल., मुंबई की किसी शाखा या इकाई के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार, स्वामित्व, प्रबंधन और एकता की एक परीक्षा

नियंत्रण वास्तव में लागू नहीं हो सकता है, लेकिन दी गई तथ्यात्मक स्थिति में परीक्षण कार्यात्मक अभिन्नता या उद्देश्य की सामान्य एकता का होगा। वहाँ

रोजगार की कोई प्रत्यक्ष एकता नहीं है। किसी भी मामले में, यह कार्यात्मक का परीक्षण है

एकरूपता या उद्देश्य की सामान्य एकता जिसे वर्तमान तथ्यों में लागू करना होगा यदि दोनों प्रतिष्ठानों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए जोड़ा जाना है। 21. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का एक तर्क आउटसोर्सिंग के व्यवसाय मॉडल पर आधारित था और यह सुझाव देने की मांग की गई थी कि यदि काम का एक पहलू दूसरी कंपनी को आउटसोर्स किया जाता है, तो वह उपरोक्त परीक्षणों को पूरा नहीं करेगा। हालाँकि, हमने विद्वान वरिष्ठ वकील को बताया कि आउटसोर्सिंग के व्यवसाय मॉडल का वास्तव में इतिहास उतना पुराना नहीं है या उस समय अवधि के संबंध में बहुत अधिक प्रचलित नहीं था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं; लेकिन यह एक अपेक्षाकृत बाद की घटना है और इस प्रकार, वह सिद्धांत वास्तव में उस समय के लिए संबंध की प्रकृति, यदि कोई हो, का परीक्षण करने के लिए लागू नहीं होगा, जिसके साथ हम चिंतित हैं।

22. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि दोनों कंपनियाँ कार्यात्मक रूप से निर्भर थीं। वास्तव में, क्या था

यह बताया गया कि व्यावहारिक रूप से तीनों कंपनियां एक ही इमारत से काम कर रही थीं, हालांकि अलग-अलग मंजिलों पर, और टी. पी. एच. एल. का कार्यालय बी. सी. सी. एल., मुंबई के कर्मचारियों के उपयोग के लिए खुला था। यह भी तर्क दिया गया कि बी. सी. सी. एल., मुंबई के प्रबंधक श्री सुनील गुप्ता टी. पी. एच. एल. से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और इसके लिए दिए गए उदाहरण नोटिस हैं। महाशिवरात्रि और होली पर दोनों के कार्यालयों के बंद होने से संबंधित। हालाँकि, विचाराधीन दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि वे वास्तव में टी. पी. एच. एल. के लिए समर्थन थे, जो स्वाभाविक होगा क्योंकि बी. सी. सी. एल., मुंबई का कार्यालय बंद होने की स्थिति में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और कोई संपादन, विपणन कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह, सुरक्षा कर्मचारियों के मुद्दे पर, चूंकि इमारत एक थी, एक बार फिर, तार्किक रूप से सामान्य निर्देश संभव थे। हालांकि, इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि टी. पी. एच. एल. का कार्यकारी बी. सी. सी. एल., मुंबई के लेटरपैड का उपयोग कर रहा था।

प्रतिष्ठान, उदाहरण के लिए, बिजली का बिल, रखरखाव की लागत, आदि, टी. पी. एच. एल. द्वारा वहन की जानी थी। 24. यदि हम कार्यात्मक अखंडता या उद्देश्य की सामान्य एकता की कसौटी पर उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, तो एम/एस के लिए यह असंभव नहीं तो मुश्किल है।

चार मंचों के तर्क से असहमत हैं, जिन पर हमारे सामने हमला करने की कोशिश की जाती है।

25. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रताप प्रेस मामले के प्रबंधन के फैसले पर भरोसा करने की मांग की ताकि यह तर्क दिया जा सके कि समान तथ्यों के मामले में, इसे इसके विपरीत माना गया था, और इकाइयों को अलग-अलग प्रतिष्ठानों के रूप में माना गया था। उक्त निर्णय की जाँच

यह दर्शाता है कि हालांकि वे सभी व्यवसाय की एक ही प्रकृति में थे, प्रेस और समाचार पत्र के कार्य इतने परस्पर निर्भर नहीं थे कि एक दूसरे के बिना मौजूद नहीं हो सकते थे। प्रेस इकाई की गतिविधियों को पेपर इकाई की गतिविधियों से स्वतंत्र पाया गया और न्यायाधिकरण का यह विचार कि वे दो अलग-अलग और अलग-अलग औद्योगिक इकाइयाँ हैं, हस्तक्षेप के योग्य नहीं पाया गया।

26. उपरोक्त निर्णय में कार्यात्मक अखंडता की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा पर जोर दिया गया था और यह राय दी गई थी कि स्वामित्व की एकता पूर्व परिकल्पना में मौजूद है। 27. हालाँकि, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के प्रस्तुत करने के साथ सहमत होने के लिए खुद को मनाने में सक्षम नहीं हैं।

वर्तमान मामले में, विचाराधीन समझौते के तहत जो प्रभावी ढंग से किया गया है, उसका कारण यह है कि टी. पी. एच. एल. ने अपने कार्यालय स्थान, कर्मचारियों और नियंत्रण को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए बी. सी. सी. एल., मुंबई को इस हद तक सौंप दिया है कि लेटर पैड का भी बिना किसी कारण के उपयोग किया जा रहा है।

यह देखते हुए कि निर्देश किस संस्था से जारी किए जा रहे हैं। यह है।

श्रम कानून के विभिन्न प्रभावों के लिए इन दोनों को किसी भी तरह अलग रखने के लिए कागज स्वीकार करने के लिए एक उचित सिद्धांत नहीं होगा। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए उक्त अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

28. इसलिए, हमें टी. पी. एच. एल. के मामले को भी अस्वीकार करने में कोई संदेह नहीं है।

29. अब एस. वी. पी. एल. के सिविल अपील सं. 4474/2010 की ओर रुख करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री ध्रुव मेहता, की दलीलों को स्वीकार करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जॉयदीप गुप्ता ने संभवतः एक अलग दृष्टिकोण से इस पर जोर देने की कोशिश की।

30. विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि चूंकि एक "प्रतिष्ठान" को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिभाषित नहीं किया गया था, जैसा कि ऊपर देखा गया है, 9 (ऊपर)

उक्त उद्देश्य के लिए आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ दोनों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के संदर्भ में, यह तर्क दिया गया था कि उन्हें केवल प्रासंगिक तथ्यों की गैर-आवश्यकता के व्यापक सिद्धांत पर याचिकाओं को खारिज नहीं करना चाहिए था, जिन पर आर. पी. एफ. सी. और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था। यह इस संदर्भ में है कि उन्होंने एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के मामले में निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से पैरा 9 और 11 की ओर। आई. डी. अधिनियम के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण के मुद्दे पर, तथ्यों का एक अंतिम न्यायालय होने के नाते, आई. डी. अधिनियम की धारा 25-ई (iii) के संदर्भ में "प्रतिष्ठान के दूसरे हिस्से में" अभिव्यक्ति का उल्लेख करते हुए बहस की गई थी। उस संदर्भ में यह राय दी गई थी कि इस प्रश्न को तथ्य के शुद्ध प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें उन परीक्षणों पर विचार करना शामिल है जिन्हें किया जाना चाहिए।

यह निर्धारित करने में लागू किया जाएगा कि क्या कोई विशेष इकाई किसी बड़े प्रतिष्ठान का हिस्सा है। इस प्रकार, यह कहा गया था कि "वास्तव में, यह सच है कि परीक्षणों को लागू करने के लिए कुछ प्रारंभिक तथ्यों का पता लगाना आवश्यक है, लेकिन उनसे लिया जाने वाला अंतिम निष्कर्ष केवल तथ्य का प्रश्न नहीं है।"

31. इस मामले को और स्पष्ट करते हुए, वास्तव में विशिष्ट परीक्षण नहीं होने की समस्या के कारण, पैरा 11 में यह देखा गया कि कई थे

प्रतिष्ठान अलग-अलग स्थानों पर थे। यह अनुच्छेद पहले से ही है हमारे द्वारा पहले निकाला गया था।

32. मामले के तथ्यों पर, यह कहा गया था कि एस. वी. पी. एल. को 20.6.1984 पर शामिल किया गया था और 1.10.1985 पर विचाराधीन समझौता किया गया था। इसने 31.12.1986 पर छूट का दावा किया और 24.2.1988 से भविष्य निधि में योगदान कर रहा है। हालांकि यह विवादित नहीं था कि उक्त कंपनी, प्रासंगिक अवधि के लिए, केवल बी. सी. सी. एल., मुंबई के लिए विशेष काम कर रही थी, यह दलील दी गई थी कि दोनों कंपनियों के निदेशकों और शेयरधारकों में कोई समानता नहीं थी, न ही कोई क्रॉस शेयरधारिता थी, एक पहलू जिसके लिए चार्ट दायर किए गए हैं। बाद का तथ्य यह भी था कि, किसी स्तर पर, इसका एक अन्य कंपनी, यानी मेसर्स के साथ विलय हो गया। रघुवर इंडिया लिमिटेड। 33. अब बी. सी. सी. एल., मुंबई, दिनांक 1, बी. सी. सी. एल., मुंबई के साथ समझौते की जांच करते हुए, दोनों समाचार पत्रों के जयपुर संस्करण का प्रकाशन शुरू करने के बाद कहा जाता है कि उन्होंने अनुबंध के आधार पर उक्त समाचार पत्रों को छापने के लिए एस. वी. पी. एल. से संपर्क किया था। एस. वी. पी. एल. को विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कर्मियों को नियुक्त करना था और उन्हें प्रिंट करना था।

एम/एस। श्री विशाल प्रिंटर्स लिमिटेड। , जयपुर बनाम क्षेत्रीय अनुदान आयोग, जयपुर [संजय किशन कौल, जे.]

अखबारों को। पारिश्रमिक बी. सी. सी. एल., मुंबई द्वारा देय था

एसवीपीएल दो दैनिक समाचार पत्रों के लिए Rs.24,000/- प्रति दिन पर। प्रिंटिंग प्रेस कहीं और था, लेकिन एस. वी. पी. एल. का व्यावसायिक कार्यालय भी उसी इमारत में स्थित था जिसमें बी. सी. सी. एल., जयपुर था, हालांकि कहा जाता है कि यह एक अलग इमारत में था।

फर्श। खंडों में से एक, जिसका उल्लेख किया गया है, जो दर्शाता है कि लेन-देन की कोई विशिष्टता नहीं थी, खंड 28 है, जो निम्नानुसार हैः

" 28. " श्री विशाल "को कोई भी कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

किसी अन्य पक्ष से समाचार पत्र/पत्रिकाओं को छापने के लिए अन्य अनुबंध /

बशर्ते कि यह दैनिक समाचार पत्रों की समय पर छपाई सुनिश्चित करे " बेनेट "और इस समझौते के खंड 32 का पालन करता है।" ”

"

34. उपरोक्त संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि खंड 32 निर्दिष्ट किया गया है।

इस खंड में केवल एक 'गोपनीयता खंड' है।

35. उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा बहुत जोर दिया गया था

दोनों कंपनियों के अलग-अलग कानूनी निकाय होने पर, निदेशकों या शेयरधारकों की कोई समानता नहीं है, या प्रत्यक्ष वित्तीय नियंत्रण है। तुलनपत्र और लाभ-हानि खाते भी अलग-अलग थे। एक अन्य पहलू पर जोर दिया गया कि एस. वी. पी. एल. की प्रिंटिंग प्रेस एक अलग परिसर में स्थित थी जहाँ से वास्तव में व्यवसाय किया जा रहा था, हालांकि स्वाभाविक रूप से, व्यवसाय का नियंत्रण कार्यालय से होगा। बी. सी. सी. एल., मुंबई के समान परिसर में स्थित है। हालाँकि, यह विवादित नहीं है कि एस. वी. पी. एल. ने अपने खर्च पर बी. सी. सी. एल., मुंबई को समाचार पत्र/मुद्रण के भंडारण के लिए मुद्रण प्रेस के बगल में पर्याप्त क्षेत्र दिया था। एस. वी. पी. एल. को छपाई के लिए जो भुगतान किया जा रहा था, उसमें पैकेजिंग के लिए उपरोक्त स्थान उपलब्ध कराने की लागत शामिल थी।

और भंडारण संचालन।

36. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील, एक बार फिर, की मांग की

कंपनियों के बीच कार्यात्मक निर्भरता पर जोर देना। बी. सी. सी. एल. के प्रबंधक श्री सुनील गुप्ता द्वारा एस. वी. पी. एल. से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के पहलू पर जोर दिया गया, जिसमें टी. पी. एच. एल. के मामले में चर्चा की गई बंद करने की सूचना भी शामिल थी। आम बात यह है कि बी. सी. सी. एल., मुंबई एस. वी. पी. एल. के लेटर पैड पर आदेश जारी कर रहा है। वास्तव में, जारी किए गए संचार

और आदेशों की प्रकृति से पता चलता है कि तीनों एक समाचार पत्र लाने के सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम कर रहे थे।

37. उपरोक्त अपने आप में पर्याप्त नहीं होता, लेकिन इसके लिए

कार्यात्मक समाकलन परीक्षण का अनुप्रयोग, जिसने उन्हें एक ही प्रतिष्ठान का हिस्सा होने के लिए जोड़ा।

बी. सी. सी. एल. का कार्यालय, मुंबई। 39. एस. वी. पी. एल. के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाई गई तथ्यात्मक दलीलों के कारण हमने इस मामले की अधिक बारीकी से जांच की है। हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुतियों के अनुसार, उक्त इकाई को बाद में एक अन्य कंपनी में विलय कर दिया गया था, एक पहलू जो पहले से ही ऊपर देखा गया था।

40. उपरोक्त के बावजूद, तथ्यों के पूर्ण संदर्भ में, तीन प्रतिष्ठानों के विभिन्न पहलुओं को अलग करने के बाद, हम हैं

हम टी. पी. एच. एल. के लिए आए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। हम मानते हैं कि एस. वी. पी. एल. और अन्य दो संस्थाओं के काम करने की प्रकृति ही कार्यात्मक अखंडता परीक्षण को संतुष्ट करने के लिए दर्शाती है। वे अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हो सकती हैं, एक व्यवस्था हो सकती है अलग-अलग निदेशक और शेयरधारक बनाए गए हैं, लेकिन तीनों संस्थाओं के बीच नियंत्रण और कार्यात्मकता की अभिन्नता की प्रकृति ऊपर दिए गए तथ्यों से काफी स्पष्ट है। प्रत्येक तथ्य अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकता है, लेकिन समग्र रूप से, आर. पी. एफ. सी. द्वारा किए गए निष्कर्ष के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं हो सकता है। हम ऐसा कर रहे हैं, इस तथ्य से काफी सचेत हैं कि निस्संदेह कुछ गड़बड़ी है जो आर. पी. एफ. सी. के क्रम में उत्पन्न हुई है, जिसकी पुष्टि की गई है।

सब जगह। लेकिन फिर, अपीलार्थियों का मामला इस सिद्धांत पर बनाया गया था कि इन तीनों संस्थाओं की वास्तव में बी. सी. सी. एल., मुंबई की तुलना में कोई कार्यात्मक अखंडता नहीं है। जैसा कि यह बाद में सामने आया और हमारे सामने स्वीकार किया गया; इसमें कोई संदेह नहीं है कि बी. सी. सी. एल., जयपुर बी. सी. सी. एल., मुंबई की एक इकाई है और अन्य दो इकाइयों में संबंध हैं और बी. सी. सी. एल., जयपुर द्वारा इस तरह से नियंत्रित किए जाते हैं जो कार्यात्मक अखंडता परीक्षण को संतुष्ट करेंगे। 41. उक्त अधिनियम एक लाभकारी विधान होने के कारण, पाँच वर्ष की प्रारंभिक अवधि (बाद में घटाकर तीन वर्ष कर दी गई) को अधिनियम की कठोरता से बाहर करने का उद्देश्य केवल नए प्रतिष्ठानों को अपना व्यवसाय स्थापित करने की अवधि प्रदान करना था, और उक्त अधिनियम के तहत दायित्व से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के मार्ग बनाने की अनुमति नहीं देना था।

निष्कर्षः

42. इस प्रकार, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि तीनों अपीलार्थियों के निष्कर्ष कार्यात्मक अभिन्नता एम/एस को संतुष्ट करते हैं।

और उद्देश्य परीक्षण की सामान्य एकता, और वही वर्तमान मामले के तथ्यों में पूरा होते हैं।

43. हम मामले से अलग होने से पहले एक अन्य पहलू पर भी ध्यान दे सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि विवादित आदेशों से उत्पन्न होने वाली देनदारी क्या होगी, यह केवल लगभग 1 लाख के दायरे में बताया गया था, जिसके लिए अब पांच न्यायिक मंचों को परेशान किया गया है। दूसरा पहलू यह है कि यह मामला इतने वर्षों से चला आ रहा है और आर. पी. एफ. सी. के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 बी के तहत हर्जाना लगाने का एकमात्र रास्ता खुला है, जिसने संबंधित समय पर हर्जाने की राशि को मूल राशि के दोगुने तक सीमित कर दिया है। शुद्ध परिणाम यह है कि पिछले तीस से अधिक वर्षों में इस लंबी अवधि के दौरान देयता केवल दोगुनी होगी। यह केवल एक बाद के विधायी संशोधन द्वारा है, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, धारा 7Q की शुरूआत द्वारा, डब्ल्यू. ई. एफ. 1.7.1997 जोड़ा गया है, कि ब्याज प्रति वर्ष 12 प्रतिशत पर देय होने का प्रावधान किया गया था, जो स्वाभाविक रूप से संभावित रूप से लागू होगा। इस प्रकार, अपीलार्थी इस तरह के दायित्व के मुद्दे पर हल्के में भाग रहे हैं, जिसकी सटीक राशि निर्धारित की जानी है। इनमें से प्रत्येक प्रतिष्ठान का दायित्व बी. सी. सी. एल., मुंबई के साथ व्यापक होगा।

44. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम तीनों अपीलार्थियों पर अलग-अलग राशियों की लागत लगाने के लिए इच्छुक हैं। चूंकि सिविल अपील सं. 4475/2010 में अपीलार्थी बी. सी. सी. एल., जयपुर का कोई मामला नहीं था। हम, इस प्रकार, उस अपील को Rs.50,000/- की लागत के साथ खारिज करते हैं, जबकि Rs.20,000/- प्रत्येक के अन्य दो अपीलार्थियों पर लागत लगाते हैं।

45. तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन